संख्या-47/2023/001-1061/60-1-2023

प्रेषक,

महावीर प्रसाद गौतम,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
महिला कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

महिला कल्याण अनुभाग-1 **लखनऊ::दिनांक:: 27 अक्टूबर, 2023**

विषय:- उ0प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना एवं उ0प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-210-11/निदे0म0क0/लेखा-बा0से0यो0/2023-24, दिनांक 25.08.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जो उ0प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना एवं उ0प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में है।

उल्लेखनीय है कि शासनादेश दिनांक 21.06.2023 द्वारा उ0प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना एवं उ0प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) हेतु प्रथम किश्त के रूप में रू0 2000.00 लाख (रूपये बीस करोड मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया वित्तीय वर्ष 2023-24 के अनुदान संख्या-49 के लेखाशीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-06-उ0प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना एवं उ0प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 1,20,00,00,000/- (रुपये एक अरब बीस करोड़ मात्र) के सापेक्ष द्वितीय एवं तृतीय किश्त के रूप में रू0 40,00,00,000/- (रुपये चालीस करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुये आपके निवर्तन पर रखे जाने हेतु निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं -:

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

(1) निदेशक, महिला कल्याण द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 17-03-2023 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) निदेशक, महिला कल्याण द्वारा यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नही है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(3) बजट प्रावधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, महिला कल्याण का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश निदेशक, महिला कल्याण द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्यमद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा।

(5) अवमुक्त धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(6) निदेशक, महिला कल्याण द्वारा योजना हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों/गाइडलाइन का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) उक्त के अतिरिक्त परिवीक्षा अधिकारी द्वारा जिलाधिकारी के सहयोग से लाभार्थियों के सत्यापन की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जायेगी। प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत सचिव, भारत सरकार द्वारा दिनांक 06.10.2023 की बैठक के दौरान यह भी अवगत कराया गया था कि भारत सरकार द्वारा पी.एम. केयर तथा स्पाँसरशिप प्रोग्राम के अन्तर्गत भी बच्चों को धनराशि दी जा रही है, जिसका पूर्ण लाभ राज्य सरकार द्वारा नहीं लिया जा रहा है। अतः उक्त योजनाओं की गाइडलाइन्स के अनुरूप भारत सरकार की योजना से बच्चों को आच्छादित करते हुए राज्य सरकार के व्यय भार को कम किया जायेगा। निदेशक, महिला कल्याण इस कार्यवाही को आगामी दो माह में पूर्ण करा लेंगे तथा लाभार्थियों के सत्यापन को भी तत्काल प्रभाव से एक माह के अन्तर्गत पूर्ण करा लिया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 40,00,00,000 (रुपये चालीस करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 049 लेखा शीर्षक 2235021020600 उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना एवं उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) मानक मद 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-4-108-X-2023-24, दिनांक-16-10-2023 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(महावीर प्रसाद गौतम)
संयुक्त सचिव

संख्या-47/2023/001-1061/60-1-2023, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज/लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

4- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, निदेशालय महिला कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।

5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महावीर प्रसाद गौतम)
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।